वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887

(1887 का अधिनियम संख्यांक 7)[1]

[11 फरवरी, 1887]

कतिपय वादों के बारे में न्यायालयों की अधिकारिता के अवधारण के प्रयोजनार्थ उनके मूल्यांकन का ढंग विहित करने के लिए अधिनियम

कतिपय वादों के बारे में न्यायालयों की अधिकारिता का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ उनके मूल्यांकन का ढंग विहित करना समीचीन है; अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. नाम और विस्तार—यह अधिनियम वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887 कहा जा सकेगा [2][और इसका विस्तार, उन राज्यक्षेत्रों के सिवाय जो पहली नवम्बर, 1956 के ठीक पहले भाग ख राज्यों में समाविष्ट थे, संपूर्ण भारत पर है ।]

भाग 1

भूमि सम्बन्धी वाद

2. भाग 1 का विस्तार और प्रारम्भ—इस भाग का विस्तार उन स्थानीय क्षेत्रों पर होगा और यह वहां उन तारीखों से प्रवृत्त होगा जो [3][राज्य सरकार] शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट[4] करे ।

3. अधिकारिता के प्रयोजनों के लिए भूमि के मूल्य अवधारण के नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति—(1) राज्य सरकार [5]*** न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7) की धारा 7 के पैरा (v) और (vi) और पैरा (x) के खंड (घ) में वर्णित वादों में अधिकारिता के प्रयोजनों के लिए भूमि के मूल्य अवधारण के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) नियम किसी संपूर्ण स्थानीय क्षेत्र या उसके किसी भाग की भूमि के किसी वर्ग का या भूमि में किसी हित का मूल्य अवधारण कर सकेंगे और एक ही स्थानीय क्षेत्र के विभिन्न स्थानों के लिए विभिन्न मूल्य विहित कर सकेंगे ।

4. भूमि सम्बन्धी कतिपय वादों में अनुतोष के मूल्यांकन का भूमि के मूल्य से अधिक न होना—जहां कि न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7) की धारा 7 के पैरा (iv) या अनुसूची 2 के अनुच्छेद 17 में वर्णित वाद ऐसी भूमि या भूमि में हित के संबंध में है जिसका मूल्य अंतिम पूर्वगामी धारा के अधीन बने नियमों द्वारा अवधारित किया गया है, वहां वह रकम जिस पर वाद में मांगा गया अनुतोष अधिकारिता के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकित किया जाए उस भूमि या हित के उन नियमों द्वारा यथा अवधारित मूल्य से अधिक नहीं होगी ।

5. नियमों का बनाया जाना और प्रवर्तन—(1) राज्य सरकार धारा 3 के अधीन नियम बनाने के पूर्व उनके बारे में उच्च न्यायालय से परामर्श करेगी ।

(2) उस धारा के अधीन बना नियम तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक शासकीय राजपत्र में उस नियम के प्रकाशित किए जाने के पश्चात् एक मास का अवसान नहीं हो गया है ।

6. मद्रास सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, 1873 की धारा 14 का निरसन—उस तारीख को और से, जिस तारीख को धारा 3 के अधीन के नियम फोर्ट सेन्ट जार्ज सपरिषद् गवर्नर के प्रशासन के अधीन के उन राज्यक्षेत्रों के किसी भाग में प्रभावी होते हैं जिन पर मद्रास सिविल

---

[1] इस अधिनियम का संशोधन पंजाब में 1938 के पंजाब अधिनियम संख्यांक 1 तथा 1942 के पंजाब अधिनियम संख्यांक 13 द्वारा, यूनाइटेड प्राविन्सेज में 1939 के युनाइटेड प्राविन्स अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा, महाराष्ट्र में 1960 के महाराष्ट्र अधिनियम संख्यांक 4 और 1970 के महाराष्ट्र अधिनियम संख्यांक 9 द्वारा और हिमाचल प्रदेश में 1969 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 30 द्वारा किया गया है ।

इस अधिनियम का विस्तार 1956 के अधिनियम संख्यांक 68 द्वारा 1-1-1957 से मणिपुर संघ राज्यक्षेत्र पर, 1958 के मध्य प्रदेश अधिनियम संख्यांक 23 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से सम्पूर्ण मध्य प्रदेश पर, 1960 के पंजाब अधिनियम संख्यांक 43 द्वारा पंजाब के अन्तरित राज्यक्षेत्रों पर, 1963 के विनियम संख्यांक 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली पर, 1965 के विनियम संख्यांक 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-10-1967 से) लक्षद्वीप के संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र पर और 1968 के अधिनियम संख्यांक 26 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा पांडिचेरी के संघ राज्यक्षेत्र पर, किया गया ।

यह अधिनियम बेलारी जिला में इसके लागू होने के संबंध में 1955 के मैसूर अधिनियम संख्यांक 14 द्वारा, आन्ध्र में इसके लागू होने के संबंध में 1956 के आन्ध्र अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा, मुम्बई क्षेत्र और मैसूर के कुर्ग जिला में इसके लागू होने के संबंध में 1958 के मैसूर अधिनियम संख्यांक 16 द्वारा और राजस्थान में इसके लागू होने के संबंध में 1958 के राजस्थान अधिनियम संख्यांक 3 द्वारा, निरसित किया गया है ।

[2] विधि अनुकूलन सं० 2 आदेश, 1956 द्वारा जोड़ा गया है ।

[3] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "भाग क राज्य या भाग ग राज्य की सरकार" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] अधिनियम का भाग 1, धारा 2 के अधीन पंजाब पर विस्तार करने के लिए घोषित किया गया है तथा वहां 1 मार्च, 1889 को प्रवृत्त हो गया है, देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी) 1889, भाग 1, पृष्ठ 107 ।

[5] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1973 द्वारा "गवर्नर जनरल इन काउन्सिल के नियंत्रण के अधीन रहते हुए" शब्द निरसित किए गए ।

www.LinkingLaws.com

कोर्ट्स ऐक्ट, 1873 (1873 का 3) का विस्तार है, उस अधिनियम की धारा 14 उन राज्यक्षेत्रों के उस भाग के विषय में निरसित हो जाएगी ।

भाग 2

अन्य वाद

7. भाग 2 का प्रारम्भ—यह भाग [1]*** जुलाई, 1887 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा ।

8. न्यायालय फीस के लिए मूल्य और अधिकारिता के लिए मूल्य का कतिपय वादों में एक ही होना—जहां कि न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7) की धारा 7 के पैरा (v), (vi) और (ix) तथा पैरा (x) के खंड (घ) में निर्दिष्ट वादों से भिन्न वादों में न्यायालय फीसें न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 के अधीन मूल्यानुसार संदेय है वहां न्यायालय फीस की संगणना के लिए अवधार्य मूल्य और अधिकारिता के प्रयोजनों के लिए मूल्य एक ही होगा ।

9. कतिपय वादों के मूल्य का अवधारण उच्च न्यायालय द्वारा होना—जबकि न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7) की धारा 7 के पैरा (v) और (vi) तथा पैरा (x) के खंड (घ) में वर्णित वादों से भिन्न किसी भी वर्ग के वादों की विषय-वस्तु ऐसी है कि उच्च न्यायालय की राय में उसका समाधानप्रद मूल्यांकन अशक्य है वहां उच्च न्यायालय राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से निदेश दे सकेगा कि उस वर्ग के वादों के बारे में न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 और इस अधिनियम तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के प्रयोजनों के लिए यह माना जाएगा कि उनकी विषय-वस्तु उतने मूल्य की है जितना उच्च न्यायालय इस निमित्त विनिर्दिष्ट करना ठीक समझता है ।

10. [पंजाब कोर्ट्स ऐक्ट, 1884 (1884 का 18) की धारा 32 का निरसन]—रिपीलिंग एण्ड अमेंडिंग ऐक्ट, 1891 (1891 का 12) की धारा 2 तथा अनुसूची 1, भाग 1 द्वारा निरसित ।

भाग 3

अनुपूरक उपबन्ध

11. जहां कि अपील या पुनरीक्षण में यह आक्षेप किया जाता है कि वाद या अपील की अधिकारिता के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकन उचित तौर पर नहीं किया गया था, वहां प्रक्रिया—(1) कोड आफ सिविल प्रोसीजर (1882 का 14) की [2]धारा 578 में किसी बात के होते हुए भी यह आक्षेप कि वाद या अपील के अतिमूल्यांकन या न्यूनमूल्यांकन के कारण किसी प्रथम बार के न्यायालय या निचले अपील न्यायालय ने, जिसको उस वाद या अपील के बारे में अधिकारिता प्राप्त नहीं थी, उसके बारे में अधिकारिता का प्रयोग किया, किसी अपील न्यायालय द्वारा तब के सिवाय ग्रहण नहीं किया जाएगा जबकि—

(क) वह आक्षेप प्रथम बार के न्यायालय में उस सुनवाई के समय या पूर्व, जिसमें विवाद्यक पहली बार विरचित और अभिलिखित किए गए थे, अथवा निचले अपील न्यायालय में उस न्यायालय को की गई अपील के ज्ञापन में किया गया था, अथवा

(ख) अपील न्यायालय का ऐसे कारणों से, जिन्हें वह लेखन द्वारा अभिलिखित करेगा, समाधान हो गया हो कि वाद या अपील का अतिमूल्यांकन या न्यूनमूल्यांकन किया गया था और उसके अतिमूल्यांकन या न्यूनमूल्यांकन का वाद या अपील के उसके गुणागुण के आधार पर निपटारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

(2) यदि, आक्षेप उपधारा (1) के खण्ड (क) में वर्णित रीति से किया गया था किन्तु अपील न्यायालय का उस उपधारा के खण्ड (ख) में वर्णित दोनों बातों के बारे में समाधान नहीं होता है और उसके समक्ष वह सामग्री है जो उसे की गई अपील के अन्य आधारों के अवधारण के लिए आवश्यक है तो वह अपील को ऐसे निपटाएगा मानो प्रथम बार के न्यायालय या निचले अपील न्यायालय में अधिकारिता की कोई त्रुटि नहीं थी ।

(3) यदि आक्षेप उस रीति से किया गया था और अपील न्यायालय का उन दोनों बातों में समाधान होता है और उसके समक्ष वह सामग्री नहीं है तो वह उस न्यायालय को अपीलों की सुनवाई के बारे में लागू नियमों के अधीन अपील पर कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होगा; किन्तु यदि वह वाद या अपील को प्रतिप्रेषित करे या विवाद्यक विरचित और विचारणार्थ निर्देशित करे, या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने की अपेक्षा करे तो वह अपना आदेश उस न्यायालय को निर्दिष्ट करेगा जो उस वाद या अपील को ग्रहण करने के लिए सक्षम है ।

(4) अपील न्यायालय के बारे में इस धारा के उपबन्ध, जहां तक वे लागू किए जा सकते हैं कोड आफ सिविल प्रोसीजर (1882 का 14) की [3]धारा 622 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन पुनरीक्षण की अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालय को लागू होंगे ।

---

[1] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ख राज्यों के सिवाय इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, और" शब्दों का लोप किया गया ।

[2] देखिए अब सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 99 ।

[3] देखिए अब सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 115 ।

www.LinkingLaws.com

(5) यह धारा [1]*** वह जुलाई, 1887 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगी ।

12. भाग 1 या भाग 2 के प्रारम्भ के समय लम्बित कार्यवाहियां—भाग 1 या भाग 2 की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी न्यायालय की—

(क) किसी ऐसे विवाद के बारे में अधिकारिता पर प्रभाव डालती है जो उस वाद के मूल्यांकन को भाग 1 के अधीन लागू नियमों के प्रभावी होने या, यथास्थिति, भाग 2 के प्रवृत्त होने के पूर्व संस्थित किया गया है; अथवा

(ख) किसी ऐसे वाद से उद्भूत होने वाली किसी अपील के बारे में अधिकारिता पर प्रभाव डालती है ।

———

[1] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ख राज्यों के सिवाय इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, और" शब्दों का लोप किया गया ।

www.LinkingLaws.com